इसे वेबसाइट **www.govtpress.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 238] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 20 अगस्त 2024—श्रावण 29, शक 1946

## विधि एवं विधायी ( निर्वाचन ) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 20 अगस्त 2024

क्र. 12—वि.निर्वा.—2024—चार—168.— भारत निर्वाचन आयोग की संशोधित अधिसूचना क्रमांक 100-CS-MP-08-2024 (1), दिनांक 20 अगस्त 2024 सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित की जाती है :—

**राजेश कुमार कौल,** सचिव.

## भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली—110 001

नई दिल्ली, दिनांक 20 अगस्त, 2024—29 श्रावण, 1946 (शक)

### अधिसूचना

सं. 100/रा.स.-मध्यप्रदेश/08/2024 (1) यत:, आयोग ने अपनी अधिसूचना सं. 100/रा.स.-मध्यप्रदेश/08/2024 (1) दिनांक 14 अगस्त, 2024 के जरिए मध्य प्रदेश से राज्य सभा के लिए उप-निर्वाचन का कार्यक्रम अधिसूचित किया था; और

यत:, उपर्युक्त निर्वाचन के लिए मध्य प्रदेश राज्य के संबंध में अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तिथि 26 अगस्त, 2024 नियत की गई थी; और

यत:, मध्य प्रदेश सरकार ने अधिसूचना दिनांक 14.08.2024 के जरिए 26.08.2024 को परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के अंतर्गत सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया था जो मध्य प्रदेश से राज्य सभा के लिए चल रहे उप-निर्वाचन के लिए अभ्यर्थिताएं वापस लेने के लिए नियत की गई अंतिम तिथि भी है; और

यत:, आयोग ने मामले पर विचार करने के बाद, उक्त निर्वाचन के लिए अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तिथि को 27.08.2024 के रूप में पुनर्निर्धारित करने का निर्णय लिया है;

अब, इसलिए, आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 39 के अंतर्गत प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतदद्वारा निदेश देता है कि इसकी अधिसूचना सं. 100/रा.स.-मध्यप्रदेश/08/2024 (1) दिनांक 14 अगस्त, 2024 में निम्नलिखित संशोधन किया जाएगा; अर्थात्:

खंड (आ) के उप-खंड (ग) में मौजूदा प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी:

"(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तिथि - 27 अगस्त, 2024 (मंगलवार);"

आदेश से,<br>
हस्ता./—<br>
**(सुमन कुमार दास)**<br>
सचिव,<br>
भारत निर्वाचन आयोग.

# ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi–110 001

New Delhi, Dated 20th August, 2024 – Sravana 29, 1946 (Saka)

## NOTIFICATION

No. 100/CS-MP/08/2024 (1): - WHEREAS, the Commission, vide its Notification No. 100/CS-MP/08/2024 (1), dated 14th August, 2024, had notified the schedule for bye election to the Council of States from Madhya Pradesh; and

WHEREAS, the last date for withdrawal of candidatures in respect of State of Madhya Pradesh for the above election was fixed as 26th August, 2024; and

WHEREAS, the Government of Madhya Pradesh vide notification dated 14.08.2024 declared 26.08.2024, a public holiday under N. I. Act, 1881 which is also the date fixed for last date of withdrawal for candidatures for the ongoing bye election to the Council of States from Madhya Pradesh; and

WHEREAS, the Commission, after taking into consideration the matter, has decided to re-schedule the last date for withdrawal of candidatures for the said election to 27.08.2024;

Now, therefore, the Commission, in exercise of its powers conferred under Section 39 of the Representation of the People Act, 1951, hereby directs that the following amendment shall be made in its Notification No. 100/CS-MP/08/2024 (1), dated 14th August, 2024, namely;

For the existing entries in sub clause (c) of clause (B), the following entry shall be substituted:

"(c) the 27th August, 2024 (Tuesday), as the last date for the withdrawal of candidatures;"

By order,
Sd./-
(SUMAN KUMAR DAS)
*Secretary,*
*Election Commission of India.*

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित–2024.